

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 603 OF 2024**

IN THE MATTER OF:

NEWS ITEM TITLED "AVAIKH KHANAN PAR HO RAHEE HAI
KARYAVAI JCB SAMET 9 TRACTOR-TROLLY GAYE HAI SEAZE"
APPEARING IN CHANDAU LISAMACHAR.COM DATED
13.04.2024

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Affidavit on behalf of U.P. Pollution Control Board	1-4
2.	ANNEXURE 1: Copy of the inspection report	5-12
3.	ANNEXURE 2: A copy of the Show Cause Notice dated 13.12.2024	13-15

THROUGH

DATE: 16.12.2024
PLACE: NEW DELHI



**STHAVI ASTHANA
ADVOCATE FOR UPPCB
C1/131 MOTI BAGH, SHANTI PATH,
NEW DELHI-110021
(M): 9711116034
(E): STHAVIASTHANA@GMAIL.COM**

Sr. No. 18429
16-12-24



BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 603 OF 2024

IN THE MATTER OF:

NEWS ITEM TITLED "AVAI DH KHANAN PAR HO RAHEE HAI KARYAVAI JCB SAMET 9 TRACTOR-TROLLY GAYE HAI SEAZE" APPEARING IN CHANDULISAMACHAR.COM DATED 13.04.2024

RESPONSE ON BEHALF OF THE UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD IN COMPLIANCE TO THE ORDER DATED 06.09.2024 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

I ShashiVindkar, aged about 41 Year S/o Shri Lala Ram, presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafterreferred to as "UPPCB), Varanasi, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That the deponent is working on the above mentioned post and is the authorized officer in the captioned matter and well conversant with the facts and circumstances of the case and as such is well conversant to swear this affidavit.

That this Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi (hereinafter referred to as Hon'ble Tribunal) vide its order dated 06.09.2024 has passed the following directions:



“...4. The report of the UPPCB does not disclose any action taken by it for the imposition of environmental compensation for the damage that is caused to the environment on account of such illegal excavation. Learned Counsel does not dispute that the persons responsible for such illegal excavation of soil have been traced out.

5. Learned Counsel for the UPPCB has sought 8 weeks' time to file the report showing the steps that have been taken by the UPPCB for imposition of environmental compensation.”

3. That in compliance to the order dated 27.05.2024 passed by this Hon'ble Tribunal, District Magistrate, Chandauli vide office order dated 19.07.2024 has constituted interdepartmental joint committee comprising Additional District Magistrate, UPPCB, Circle Officer Police and Mining Officer for obtaining the factual status and report.

4. The Joint Committee Report along with the Response has been submitted by the District Magistrate, Chandauli vide letter no.531/O.A. N. 603/2024 dated-03.09.2024 before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.

5. That the relevant excerpt of the above Joint Committee Report dated 29.08.2024 is as follows:



"...7. The fact came into light from joint committee report dated 25.06.2024 that Shri Lalman Yadav S/o Shri Fool Chand Yadav Resident of Kunda Khurd, Tehsil-Pt. Deen Dayal Upadhyaya Nagar, Distric-Chandauli has carried out soil excavation at whole part of Arazi no. 292Mi Rakaba- 0.762 Hectare, partial part of Arazi No. 297 and 298 of Village-Kunda Khurd, Tehsil-Pt. Deen Dayal Upadhyaya Nagar, Distric-Chandauli. In consequence of that, 01 JCB and 03 Tractor were handed over to concerned police chowki Shivala. ..."

6. That in compliance to the order passed by this Hon'ble Tribunal and observation made in the Joint Committee Report dated 29.08.2024, the officials of the UPPCB, Varanasi has inspected the mining area in question on 28.11.2024. The copy of the inspection report is being attached herewith as **Annexure-1**.
7. That in pursuant to the above Joint Committee Report dated 29.08.2024 and UPPCB inspection report dated 11.12.2024, the UPPCB vide letter no. H21139/C-6/Sa 895/OA No. 603/2024, dt. 13.12.2024 has issued a show cause notice for imposition of Environmental Compensation of Rs. 1,31,250/- according to the methodology developed by the CPCB against the responsible Shri Lalman Yadav, S/o Shri Fool Chand Yadav Resident of Kunda



(Handwritten signature)

Khurd, Tehsil-Pt. Deen Dayal Upadhyaya Nagar, District- Chandauli. The copy of the show cause notice dated 13.12.2024 is being attached herewith as Annexure-2.

- 8. That the Annexures annexed to the present affidavit are true copies of their respective originals.
- 9. That the above response on behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Board is submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.



[Signature]
 DEPONENT

VERIFICATION

Verified at *खुर्द* on this *16*..... day of December, 2024 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

Notaried
 डॉक्यूमेंट / Document
 नॉटरी / Notary
 ऑफिस / Office
 क्र. / Sr. N. *18430*
 दिनांक / Date *16.12.24*
 स्थान / Place *खुर्द*
 राज्य / State *U.P.*
Uday Krishna Chaturvedi
 Notary Govt of India
 Civil Court *खुर्द*

[Signature]
 DEPONENT





उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, VARANASI



संदर्भ सं०/Ref.No. 2081/NGT/OA/No-603/24-25

दिनांक/Date 11-12-24

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-6),
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय:-श्री लालमन यादव पुत्र श्री फुलचन्द यादव, निवासी-कुण्डाखुर्द, परगना-मवई, तहसील-पण्डित दीनदयाल उपाध्याय नगर, जनपद-चन्दौली द्वारा गाटा संख्या 298मि रकबा 0.762 हे० भूमि पर सम्पूर्ण व आराजी सं०-297 व 298 के आंशिक भाग में 04 मीटर गहराई तक कुल 2208 वर्गमीटर में राज्य बोर्ड से सी०टी०ई०/सी०टी०ओ० प्राप्त किये बिना साधारण मिट्टी खनन किये जाने के विरुद्ध डिफाल्टर अवधि में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में संशोधित आख्या का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक श्री लालमन यादव पुत्र श्री फुलचन्द यादव, निवासी-कुण्डाखुर्द, परगना-मवई, तहसील-पण्डित दीनदयाल उपाध्याय नगर, जनपद-चन्दौली द्वारा गाटा संख्या 298मि रकबा 0.762 हे० भूमि पर सम्पूर्ण व आराजी सं०-297 व 298 के आंशिक भाग में 04 मीटर गहराई तक कुल 2208 वर्गमीटर में राज्य बोर्ड से सी०टी०ई०/सी०टी०ओ० प्राप्त किये बिना साधारण मिट्टी खनन किये जाने के विरुद्ध डिफाल्टर अवधि में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने सम्बन्धी आख्या प्राप्त हुई है। संशोधित आख्या संलग्न है। संलग्न आख्यानुसार मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या 116/2014 में पारित आदेश तथा ओ०ए० संख्या 593/2017 में पारित आदेश के अनुपालन हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर गाटा संख्या 298मि रकबा 0.762 हे० भूमि पर सम्पूर्ण व आराजी सं०-297 व 298 के आंशिक भाग में साधारण मिट्टी खनन किये जाने हेतु श्री लालमन यादव पुत्र श्री फुलचन्द यादव, निवासी-कुण्डाखुर्द, परगना-मवई, तहसील-पण्डित दीनदयाल उपाध्याय नगर, जनपद-चन्दौली द्वारा राज्य बोर्ड से सी०टी०ई०/सी०टी०ओ० प्राप्त किये बिना साधारण मिट्टी खनन किये जाने के विरुद्ध डिफाल्टर अवधि में 131250.00 (रु० एक लाख इकतीस हजार दो सौ पचास मात्र) की धनराशि की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(शशि विन्दकर)
क्षेत्रीय अधिकारी
O/C

श्री लालमन यादव पुत्र श्री फुलचन्द यादव, निवासी-कुण्डाखुर्द, परगना-मवई, तहसील-पण्डित दीनदयाल उपाध्याय नगर, जनपद-चन्दौली द्वारा गाटा संख्या 298मि रकबा 0.762 हे० भूमि पर सम्पूर्ण व आराजी सं०-297 व 298 के आंशिक भाग में 04 मीटर गहराई तक कुल 2208 वर्गमीटर में राज्य बोर्ड से सी०टी०ई०/सी०टी०ओ० प्राप्त किये बिना साधारण मिट्टी खनन किये जाने के विरुद्ध डिफाल्टर अवधि में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में आख्या।

उक्त संदर्भित श्री लालमन यादव पुत्र श्री फुलचन्द यादव, निवासी-कुण्डाखुर्द, परगना-मवई, तहसील-पण्डित दीनदयाल उपाध्याय नगर, जनपद-चन्दौली द्वारा गाटा संख्या 298मि रकबा 0.762 हे० भूमि पर सम्पूर्ण व आराजी सं०-297 व 298 के आंशिक भाग में 04 मीटर गहराई तक कुल 2208 वर्गमीटर में राज्य बोर्ड से सी०टी०ई०/सी०टी०ओ० प्राप्त किये बिना साधारण मिट्टी खनन किये जाने सम्बंधी आख्या निम्नवत् है:-

1. मा० एन०जी०टी० में विचाराधीन ओ०ए० संख्या 603/2024 News Item Titled "अवैध खनन पर हो रही है कार्यवाही, जेसीबी समेत 9 ट्रैक्टर-ट्राली किए गये हैं सीज" Appearing in chandaulisamachar.com dated 13.04.2024 स्टेट ऑफ यूपी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.05.2024 में दाखिल संयुक्त निरीक्षण आख्या के बिन्दु संख्या 07 में प्रश्नगत गाटा संख्या 292 मि० रकबा 0.762 हेक्टेयर भूमि पर सम्पूर्ण व आराजी संख्या 297 व 298 की अंशिक भाग में श्री लालमन यादव पुत्र श्री फूलचन्द्र यादव, निवासी कुण्डाखुर्द, परगना-मवई, तहसील-दीनदयाल उपाध्याय नगर, जनपद-चन्दौली द्वारा साधारण मिट्टी खनन कार्य किया गया।
2. श्री लालमन यादव पुत्र श्री फूलचन्द्र यादव, निवासी कुण्डाखुर्द, परगना-मवई, तहसील-दीनदयाल उपाध्याय नगर, जनपद-चन्दौली द्वारा गाटा संख्या 292 मि० रकबा 0.762 हेक्टेयर भूमि पर सम्पूर्ण व आराजी संख्या 297 व 298 की अंशिक भाग में साधारण मिट्टी खनन कार्य हेतु राज्य बोर्ड से सी०टी०ओ० प्राप्त नहीं किया गया।
3. मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 603/2024 News Item Titled "अवैध खनन पर हो रही है कार्यवाही, जेसीबी समेत 9 ट्रैक्टर-ट्राली किए गये हैं सीज" Appearing in chandaulisamachar.com dated 13.04.2024 स्टेट ऑफ यूपी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.05.2024 के अनुपालन में जिलाधिकारी, चन्दौली द्वारा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19.07.2024 के माध्यम से गठित अन्तर्विभागीय समिति द्वारा प्रश्नगत साधारण मिट्टी खनन स्थल का निरीक्षण दिनांक 24.08.2024 को किया गया तथा उक्त समिति की आख्या के बिन्दु संख्या 07 में निम्नवत् उल्लिखित है:-
".....7. The fact came into light from joint committee report dated 25.06.2024 that Shri Lalman Yadav S/o Shri Fool Chand Yadav Resident of Kunda Khurd, Tehsil-Pt. Deen Dayal Upadhyaya Nagar, Distric-Chandauli has carried out soil excavation at whole part of Arazi no. 292Mi Rakaba- 0.762 Hectare, partial part of Arazi No. 297 and 298 of Village-Kunda Khurd, Tehsil-Pt. Deen Dayal Upadhyaya Nagar, Distric-Chandauli. In consequence of that, 01 JCB and 03 Tractor were handed over to concerned police chowki Shivala."
4. मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 603/2024 News Item Titled "अवैध खनन पर हो रही है कार्यवाही, जेसीबी समेत 9 ट्रैक्टर-ट्राली किए गये हैं सीज" Appearing in chandaulisamachar.com dated 13.04.2024 स्टेट ऑफ यूपी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.09.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत् है:-
".....4. The report of the UPPCB does not disclose any action taken by it for the imposition of environmental compensation for the damage that is caused to the environment on account of such illegal excavation. Learned Counsel does not dispute that the persons responsible for such illegal excavation of soil have been traced out.
5. Learned Counsel for the UPPCB has sought 8 weeks' time to file the report showing the steps that have been taken by the UPPCB for imposition of environmental compensation....."

उपरोक्त वर्णित संयुक्त समिति की आख्यानुसार मौजा-कुण्डाखुर्द में परगना-मवई, तहसील-दीनदयाल उपाध्याय नगर, जनपद-चन्दौली स्थित गाटा संख्या 292 मि0 रकबा 0.762 हेक्टेयर भूमि पर सम्पूर्ण व आराजी संख्या 297 व 298 की अंशिक भाग में 04 मीटर गहराई तक कुल 2208 वर्गमीटर साधारण मिट्टी का खनन कार्य राज्य बोर्ड से बिना सहमति प्राप्त किये खनन का कार्य किया गया है, जो जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25 के आज्ञापक प्रविधानों का उल्लंघन दर्शाता है।

दिनांक 28.11.2024 को साधारण मिट्टी खनन का स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा किया गया एवं आस-पास के व्यक्ति से वार्ता की गयी। उनके द्वारा बताया गया कि इस साधारण मिट्टी का कार्य दिनांक 24.03.2024 (होली के आस-पास) से स्टार्ट किया गया था। इस प्रकार साधारण मिट्टी खनन दिनांक 24.03.2024 से 13.04.2024 तक अर्थात् लगभग 21 दिनों तक किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 116/2014 में पारित आदेश तथा ओ0ए0 संख्या 593/2017 में पारित आदेश के अनुपालन हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि के आंकलन हेतु जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर बिना सी0टी0ओ0 प्राप्त किये खनन किये जाने के दृष्टिगत उपरोक्त गाटा संख्या 298मि रकबा 0.762 हे0 भूमि पर सम्पूर्ण व आराजी सं0-297 व 298 के आंशिक भाग में साधारण मिट्टी खनन किये जाने हेतु श्री लालमन यादव पुत्र श्री फुलचन्द यादव, निवासी-कुण्डाखुर्द, परगना-मवई, तहसील-पण्डित दीनदयाल उपाध्याय नगर, जनपद-चन्दौली पर अधिरोपित किये जाने वाली प्रतिदिन पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नानुसार है:-

Environment compensation (EC)=Pollution Index (PI)xNos of days from which the non compliance has been observed (N)x Factor in rupees (R) x Factor for scale of operation (S)x Location Factor (LF)

Where,

PI=50	80 for red category unit, 50 for orange category unit, 30 for green category unit.
N=1	Nos of days from which the non compliance has been observed.
R=250	Factor in rupees
S=0.5	Factor for scale of operation=0.5 as unit is covered in small category, 1.0 medium scale unit, 1.5 for large scale unit.
LF=1.0	Location factor-1.0 for population less than 10 lac, 1.25 for population 10 lac to 50 lac, 1.5 for population 50 lac to 10 Cr and 2.0 for population more than 10 Cr.
Therefore EC=PIxNxRxSxLF =50x21x250x0.5x1.0=131250.00	

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 116/2014 में पारित आदेश तथा ओ0ए0 संख्या 593/2017 में पारित आदेश के अनुपालन हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर गाटा संख्या 298मि रकबा 0.762 हे0 भूमि पर सम्पूर्ण व आराजी सं0-297 व 298 के आंशिक भाग में साधारण मिट्टी खनन किये जाने हेतु श्री लालमन यादव पुत्र श्री फुलचन्द यादव, निवासी-कुण्डाखुर्द, परगना-मवई, तहसील-पण्डित दीनदयाल उपाध्याय नगर, जनपद-चन्दौली द्वारा राज्य बोर्ड से सी0टी0ई0/सी0टी0ओ0 प्राप्त किये बिना साधारण मिट्टी खनन किये जाने के विरुद्ध डिफाल्टर अवधि में 131250.00 (रु0 एक लाख इकतीस हजार दो सौ पचास मात्र) की धनराशि की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

11.12.24
(आर0एन0 चौधरी)
वैज्ञानिक सहायक

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय



Arazi No 297
Kunda Khurd Chandauli
28.11.2024 11:03
25.32157, 83.0715 (±3m)
83C9+9V8, Nariya 221009





Arazi No. 298
Kunda Khard Chandauli
28/11/2024 11:11
75.32228, 83.07218 (+13m)
886949V8, Nanyu 221009



कार्यालय जिलाधिकारी, चन्दौली।

(खनिज अनुभाग)

सेवा में,

श्रेणीय अधिकारी,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
वाराणसी।

पत्रांक | 53/तीस-उपखनिज/2024-25

दिनांक 03 दिसम्बर, 2024

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ०ए० संख्या-603/2024 News Item titled "अवैध खनन पर पर हो रही है कार्यवाही, जे०सी०वी० समेत 9 ट्रैक्टर-ट्राली किये गए है सिज" appearing in chandaulisamachar. com dated 13-04-2024 में परित आदेश दिनांक 06.09.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1008/NGT OANO-603/2024/24-25 दिनांक-27.11.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से प्रसन्नगत स्थल पर मिट्टी खनन का कार्य किन-किन व्यक्तियों द्वारा किया गया है। एवं उनके नाम, पिता का नाम, पूर्ण पता, थाना, मोबाइल न०, एवं खनन की अवधि के कुल दिनों की संख्या प्रेषित नहीं की गई हैं मा० एन०जी०टी० में परित आदेशों के अनुपालन में राज्य बोर्ड स्तर से कृत कार्यवाही की आख्या मा० एन०जी०टी० के समक्ष दाखिल किया जाना है जिस हेतु उक्त सूचना प्रेषित करने की अपेक्षा की गई है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपजिलाधिकारी पं०दि०द०उ० नगर के पत्र संख्या-826/एस०टी०/2024 दिनांक 16.04.2024 के माध्यम से अवगत कराया गया कि प्रवर्तन अभियान के क्रम में मौजा कुण्डा खुर्द में स्थित गांटा संख्या 292 मि० रकबा 0.762 हे० भूमि पर सम्पूर्ण व आ०सं०-297 व 298 के आंशिक भाग पर 04 मिटर गहराई कुल 2208 वर्गमीटर में सा०मिट्टी का अवैध खनन किया गया है। जिसमें कार्यवाही करते हुए 01 जे०सी०वी० सीज किया गया। पकड़े गये वाहन एवं वाहन स्वामी का विवरण निम्नवत् है:-


जे०सी०वी० संख्या-

यु०पी० 67 ए०टी० 3483

वाहन स्वामी का नाम व पता- श्री लालमन यादव पुत्र श्री फुलचन्द्र यादव नि० ग्राम-कुण्डा खुर्द थाना-मुगलसराय जनपद-चन्दौली।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि उक्त वाहन का परिवाद मा० न्यायालय में दाखिल किया गया है।

सूचना सादर प्रेषित।


03/12/24
खान अधिकारी,
चन्दौली।



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, VARANASI



संदर्भ सं./Ref.No. 1508/N67/DAWO-603/2024/24-25

दिनांक/Date.....27.11.24

अतिआवश्यक/महत्वपूर्ण
मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण

सेवा में,
खान अधिकारी,
चन्दौली।

विषय:—मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या 603/2024 News Item titled "अवैध खनन पर हो रही है कार्रवाई, जेसीबी समेत 9 ट्रैक्टर-ट्राली किए गए हैं सीज" appearing in chandaulisamachar.com dated 13.04.2024 में पारित आदेश दिनांक 06.09.2024 के अनुपालन के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत हों कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या 603/2024 में पारित आदेश दिनांक 06.09.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत् है:—

"..... 2. The Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) has filed the report on 30.08.2024 stating as under:

"4. The representative of UPPCB had participated with joint committee during site visit carried out on dated 24.08.2024. The factual status as per the joint committee report are as follows:-

a) The Heavy ditches due to soil excavation were found at whole part of Arazi no. 292Mi Rakaba-0.762 Hectare, partial part of Arazi No. 297 and 298 of Village-KundaKhurd, Tehsil-Pt. Deen Dayal Upadhyaya Nagar, District-Chandauli.

b) The committee found that this matter pertains to soil excavation at area in question instead of sand mining.

c) The Soil mining was not found at questioned area during visit.

d) During visit, the ditches were found filled with water in questioned area. So, depth of ditches could not be verified."

3. XXX

4. The report of the UPPCB does not disclose any action taken by it for the imposition of environmental compensation for the damage that is caused to the environment on account of such illegal excavation. Learned Counsel does not dispute that the persons responsible for such illegal excavation of soil have been traced out.

5. Learned Counsel for the UPPCB has sought 8 weeks' time to file the report showing the steps that have been taken by the UPPCB for imposition of environmental compensation.

6. XXX

7. List on 20.12.2024."


आप द्वारा इस कार्यालय के पत्र संख्या 485/एन.जी.टी. ओ.ए. नं. 603/2024/24-25, दिनांक 17.08.2024 के क्रम में अपने पत्र संख्या 81/तीस-उपखनिज/2023-24, दिनांक 22.08.2024 द्वारा 03 बिन्दुओं पर सूचना प्रेषित की गयी है, जिसमें मौजा कुण्डा खुर्द में परगना-मवई तहसील-प0दी0द0उ0नगर, जनपद-चन्दौली स्थित गाटा संख्या 292 मि0 रकबा-0.762 हे0 भूमि पर सम्पूर्ण व

क्षेत्रीय कार्यालय : आवास विकास ऑफिस कॉम्प्लेक्स, जवाहर नगर, भेलूपुर, वाराणसी-221010, दूरभाष : 0542-2275951
मुख्यालय : टी0सी0-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010, दूरभाष : 0522-2720828, 2720681, 2720831. फैक्स : 0522-2720764
ई-मेल : info@uppcb.in वेबसाइट : www.uppcb.up.gov.in

आ0सं0-297 व 298 के आंशिक भाग में 04 मीटर गहराई तक कुल 2208 वर्गमीटर में साधारण मिट्टी का खनन किया गया है, की सूचना दी गई है। परन्तु उक्त पत्र में यह स्पष्ट नहीं है कि प्रश्नगत स्थल पर मिट्टी खनन का कार्य किन-किन व्यक्तियों द्वारा किया गया है एवं उनके नाम, पिता का नाम, पूर्ण पता, थाना, मोबाईल नं0 एवं खनन की अवधि के कुल दिनों की संख्या प्रेषित नहीं की गयी है। मा0 एन0जी0टी0 में पारित आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड स्तर से कृत कार्यवाही की आख्या मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष समयबद्ध दाखिल किया जाना अनिवार्य है, जिस हेतु उक्त सूचना की आवश्यकता है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त सूचना लौटती डाक से इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे बोर्ड स्तर से एक्शन टेकेन रिपोर्ट मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल की जा सके।


संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

 (शशि विन्दकर)
 क्षेत्रीय अधिकारी
 010

संदर्भ संख्या एवं दिनांक:-उपरोक्त।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, चन्दौली।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-6), उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. उप जिलाधिकारी, पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर, चन्दौली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि खनन कार्य की गाटा नम्बरों के स्वामित्व के नाम, पिता का नाम, पूर्ण पता, थाना, मोबाईल नं0 की सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।


 क्षेत्रीय अधिकारी
 010

508

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. H/21/39 / सी-6/सां-895/01AN-603/2024

Dated 13/12/24
संजीकृत

श्री लालमन यादव पुत्र श्री फूलचन्द्र यादव,
निवासी कुण्डाखुर्द, परगना-मवई,
तहसील-दीनदयाल उपाध्याय नगर,
जनपद-चन्दौली।
मोबाइल नं०-

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी द्वारा पत्र दिनांक 11.12.2024 (छायाप्रति संलग्न) को प्रेषित निरीक्षण/संस्तुति आख्यानसार श्री लालमन यादव पुत्र श्री फूलचन्द्र यादव, निवासी कुण्डाखुर्द, परगना-मवई, तहसील-दीनदयाल उपाध्याय नगर, जनपद-चन्दौली द्वारा मौजा-कुण्डाखुर्द में परगना-मवई, तहसील-दीनदयाल उपाध्याय नगर, जनपद-चन्दौली स्थित गाटा संख्या 292 मि० रकबा 0.762 हेक्टेयर भूमि पर सम्पूर्ण व आराजी संख्या 297 व 298 की अंशिक भाग में साधारण मिट्टी खनन कार्य किया गया था। खनन कार्य हेतु वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत सहमति प्राप्त करना एवं सहमति शर्तों का अनुपालन करना आवश्यक है।

यह कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 603/2024 News Item Titled "अवैध खनन पर हो रही है कार्यवाही, जेसीवी समेत 9 ट्रैक्टर-ट्राली किए गये हैं सीज" Appearing in chandaulisamachar.com dated 13.04.2024 स्टेट ऑफ यूपी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.05.2024 के अनुपालन में जिलाधिकारी, चन्दौली द्वारा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19.07.2024 के माध्यम से गठित अन्तर्विभागीय समिति द्वारा प्रश्नगत साधारण मिट्टी खनन स्थल का निरीक्षण दिनांक 24.08.2024 को किया गया तथा उक्त समिति की आख्या के सुसंगत अंश निम्नवत है:-

".....7. The fact came into light from joint committee report dated 25.06.2024 that Shri Lalman Yadav S/o Shri Fool Chand Yadav Resident of Kunda Khurd, Tehsil-Pt. Deen Dayal Upadhyaya Nagar, Distric-Chandauli has carried out soil excavation at whole part of Arazi no. 292Mi Rakaba- 0.762 Hectare, partial part of Arazi No. 297 and 298 of Village-Kunda Khurd, Tehsil-Pt. Deen Dayal Upadhyaya Nagar, Distric-Chandauli. In consequence of that, 01 JCB and 03 Tractor were handed over to concerned police chowki Shivala."

यह कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 603/2024 News Item Titled "अवैध खनन पर हो रही है कार्यवाही, जेसीवी समेत 9 ट्रैक्टर-ट्राली किए गये हैं सीज" Appearing in chandaulisamachar.com dated 13.04.2024 स्टेट ऑफ यूपी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.09.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत है:-

".....4. The report of the UPPCB does not disclose any action taken by it for the imposition of environmental compensation for the damage that is caused to the environment on account of such illegal excavation. Learned Counsel does not dispute that the persons responsible for such illegal excavation of soil have been traced out.

5. Learned Counsel for the UPPCB has sought 8 weeks' time to file the report showing the steps that have been taken by the UPPCB for imposition of environmental compensation....."

यह कि उपरोक्त वर्णित संयुक्त समिति की आख्यानसार मौजा-कुण्डाखुर्द में परगना-मवई, तहसील-दीनदयाल उपाध्याय नगर, जनपद-चन्दौली स्थित गाटा संख्या 292 मि० रकबा 0.762 हेक्टेयर भूमि पर सम्पूर्ण व आराजी संख्या 297 व 298 की अंशिक भाग में साधारण मिट्टी का खनन कार्य राज्य बोर्ड से बिना सहमति प्राप्त किये खनन का कार्य किया गया है, आपकी इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25 के आज्ञापक प्रविधानों का उल्लंघन दर्शाता है।

यह कि आप द्वारा मौजा-कुण्डाखुर्द में परगना-मवई, तहसील-दीनदयाल उपाध्याय नगर, जनपद-चन्दौली स्थित गाटा संख्या 292 मि० रकबा 0.762 हेक्टेयर भूमि पर सम्पूर्ण व आराजी संख्या 297 व 298 की अंशिक भाग में साधारण मिट्टी का खनन कार्य राज्य बोर्ड से बिना सहमति प्राप्त किये जाने के फलस्वरूप राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी द्वारा पत्र दिनांक 11.12.2024 के माध्यम से आख्या उपलब्ध करायी गयी है। उक्त आख्यानसार दिनांक 28.11.2024 को साधारण मिट्टी खनन का स्थलीय निरीक्षण राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी द्वारा किया गया तथा उक्त निरीक्षण में आस-पास के व्यक्तियों से की गयी वार्तानुसार अवगत कराया गया कि साधारण मिट्टी खनन का कार्य दिनांक 24.03.2024 से दिनांक 13.04.2024 तक अर्थात् 21 दिनों तक किया गया, जिसके फलस्वरूप आपके विरुद्ध राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना खनन किये जाने के सापेक्ष उल्लंघनकारी दिवसों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी द्वारा की गयी है।

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010

Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764

Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

यह कि मा0 एनजीटी, नई दिल्ली के आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित गाइड लाइन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना हेतु निर्धारित सूत्र $Penalty=PI \times N \times R \times S \times LF$ के अनुसार आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 1,31,250/- आती है, जिसमें PI (Pollution Index)=50, N (Number of days)=21, R (Panalty in Rs)=250, S (Factor for Scale of operation, Small)=0.5, LF (Location Factor)= 1 for Population between 1 to 5 million. लिया गया है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत राज्य बोर्ड से बिना सहमति प्राप्त किये खनन कार्य किये जाने हेतु आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति यथा रू0 1,31,250/- (रू0 एक लाख इकतीस हजार दो सौ पच्चास हजार मात्र) है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं क्षेत्रीय अधिकारी की संस्तुति के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

यह कि क्यों न आपकी इकाई के विरुद्ध राज्य बोर्ड से सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये बिना ही खनन कार्य किये जाने के फलस्वरूप रू0 1,31,250/- (रू0 एक लाख इक्कतिस हजार दो सौ पच्चास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करें अन्यथा की स्थिति में उपरोक्तानुसार इकाई के विरुद्ध रू0 रू0 1,31,250/- (रू0 एक लाख इक्कतिस हजार दो सौ पच्चास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी (वृत्त-6)

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, चन्दौली।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति इकाई स्वामी को प्राप्त कराते हुए, पावती एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी (वृत्त-6)



RO Varanasi <rovaranasi@uppcb.in>


Regarding Show Cause Notice

1 message

CEO 6 <ceo6@uppcb.in>
To: RO Varanasi <rovaranasi@uppcb.in>

Mon, Dec 16, 2024 at 11:03 AM

Chief Environmental Officer, Circle-6,
U.P. Pollution Control Board,
TC-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow-U.P.

 **895_0001.pdf**
1868K